



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि आज दिनांक 24.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोहल्ला गंगानगर में अपने अर्ध निर्मित प्लॉट में तमंचा लिए है । सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अवैध तमंचा व दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए । पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजाराम पुत्र बिंदा निवासी बाबा तालाब थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 487/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री आकाश शुक्ला चौकी प्रभारी मण्डी समिति
2. कां0 सौरभ यादव
3. कां0 प्रशांत कुमार